

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

195 / 2015
18.12.2015

रामानन्द पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

- 1—तेजाराम पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी कोटडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज.
- 2—गोपाल पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी कोटडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज०
- 3—तहसीलदार निवाई

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 17.11.2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी तेजाराम आदि बनाम रामानन्द

- उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलांत
(2) श्री तेजमल जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 26.12.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 17.11.2015 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नंबर 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम हिगोनिया बुजुर्ग पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा मानकर राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र



जिला कलेक्टर
टोंक

अन्तर्गत धारा 183-बी राज.टि.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख.न. 684/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई मे से ख.न.0 686/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा उन्होंने जरिये रजि.0 विक्रय-पत्र बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों से खरीदने के उपरान्त उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रतिपक्षी ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग के रहने वाले ने नाजायज फायदा उठाकर 15 दिन पहले उक्त भूमि मे एक कच्चा घर बना लिया तथा छप्पर बाध लिया और धीरे-धीरे नाजायज तरीके से कब्जा कर रहे है। इस बात का नाजायज फायदा उठाकर झगड़ा, फसाद करते है तथा जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया है तथा मारपीट की है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने, अपीलान्त को बेदखल करने व पेनल्टी कायम कर दिलवाये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि-विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183-बी राज.टि.एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया है, उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मियाद का प्रश्न था जिसको सर्व प्रथम देखा जाकर निर्धारण किया जाना आवश्यक था। प्रार्थना-पत्र 12 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया या नहीं तथा उसका गत 12 वर्ष मे कभी कब्जा रहा या नहीं तथा उसे किस प्रकार, किस तिथि को बेदखल किया गया एंवम अपीलान्त द्वारा कब कब्जा किया इसका निर्णय मे उल्लेख नहीं किया गया है तथा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान न देकर सीधे ही बेदखली का निर्णय पारित कर दिया गया है। विवादित भूमि पर वर्ष 1981 से ही लेकर आज तक अपीलान्त का कब्जा चला आ रहा है, इसमें अपीलान्त का मकान बना हुआ है और शान्ति पूर्वक उसमे मय परिवार जीवन यापन करता चला जा रहा है। सन् 1981 में ग्राम हिंगोनिया मे जबरदस्त बाढ़ आने के कारण अप्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों के मकानात व सम्पत्तियां बाढ़ मे बहकर नष्ट हो गई थी, इस कारण राज्य सरकार व अन्य अधिकारियो ने मोके पर आकर इन लोगों को विवादित भूमि मे बसा दिया था, एंवम मकान बनाकर निवास करने के लिये कह दिया था तब से आज तक अपीलान्त का मकान व बाड़ा बना हुआ है और तब से ही अपीलान्त काबिज है, उक्त भूमि को गलत रूप से बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिये आरक्षित दर्ज की गई थी, जबकि मोके पर अपीलान्त का बाड़ा व मकान बना हुआ है, इस भूमि को विस्थापितों को कागजी तोर पर केवल रिकार्ड के आधार पर आवंटन किया गया है, जो मोके पर स्थित मकानात व बाड़े तथा कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर किया गया है, मोके की कोई जांच नहीं की गई थी, विस्थापितो को कोई सुपुर्दगीनामा जारी नहीं किया गया तथा कोई भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, अपीलान्त को कभी भौतिक रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर बेदखल नहीं किया गया। अपीलान्त शान्ति पूर्वक गत 35 वर्ष से भी अधिक समय से आज तक काबिज है और उपयोग उपभोग कर रहा है, जिसको अपने मकान व बाड़े में रहकर निवास कर जीवन यापन करने का संविधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसको किसी भी प्रकार से धारा 183 बी या किसी भी प्रावधान के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता, रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 ने नाजायज रूप से भूमि पर कब्जा करने की नियत से झूठा प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया



जिला कलेक्टर
टॉक

है। रेस्पोजेन्ट न.1 व 2 ने तथाकथित विस्थापितों से नुमाईशी तोर पर बिना भौतिक कब्जे के, अन्तरण के, चुपचाप विक्रय पत्र करवाया है और उनकी आड़ में चुपचाप नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर जमाबन्दी में नुमाईशी खातेदारी अंकित करवाकर धारा 183-बी का अविलम्ब लेकर कब्जा करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, मोके की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है, रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उनका कब्जा साबित नहीं है। रेस्पोजेन्ट्स का कभी कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का ने मोके की गलत जांच कर रिपोर्ट दी है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर 10 बिस्वा पर अपीलान्ट की कच्ची झोपड़ी व बाड़ा बना होना लिखा है। मौका रिपोर्ट में यदपि अपीलान्ट का कब्जा जिसमें झोपड़ी व बाड़ा विद्यमान होना अंकित किया है, परन्तु पटवारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लिखा है कि जबरदस्ती कब्जा कर रखा है तथा हटाना नहीं चाहता है। यह रिपोर्ट अपने आपमें विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने जवाबी बहस में प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्बन्त 2067-2070 वाके ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग तहसील निवाई में आराजी खसरा 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोजेन्ट्स की खातेदारी में दर्ज है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 10.02.2015 से जाहिर होता है कि अपीलांट की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा है और दिनांक 27.02.2015 को अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया है, जो आदेशिका दिनांक 27.02.2015 से स्पष्ट है और साथ ही स्वयं अपीलांट के भी आदेशिका दिनांक 09.03.2015 पर हस्ताक्षर है, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अपीलांट द्वारा रेस्पोजेन्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 684/844 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बिस्वा वाके ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग पर कच्ची झोपड़ी व बाड़ा बनाकर कब्जा किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्ध है कि अपीलांट रेस्पोजेन्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। रेस्पोजेन्ट्स अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट का रेस्पोजेन्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा




जिला कलेक्टर
टोंक

है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 17.11.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला-कलेक्टर,
जिला कलेक्टर
टोंक